सप्तदश माला, खंड 11, अंक 14 मंगलवार, 9 मार्च, 2021

18 फाल्गुन, 1942 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

रजनी
संपादक

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2021 / 1942 (शक)

अंक 14, मंगलवार, 9 मार्च, 2021 / 18 फाल्गुन, 1942 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 201 और 202	13-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 203 से 220	21
अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530	21

सभा पटल पर रखे गए पत्र 23-35

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

21वें से 30वां प्रतिवेदन 36-37

कृषि संबंधी स्थायी समिति

24वें से 26वां प्रतिवेदन 38

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

13वें से 15वां प्रतिवेदन 39

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

19वां प्रतिवेदन 40

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति

323वां और 324वां प्रतिवेदन 40

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

287वां और 288वां प्रतिवेदन 41

कार्य मंत्रणा समिति

20वां प्रतिवेदन 42

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(1)(क) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। 43

(ख) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21 के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री मनसुख एल. मांडविया 44

समिति के लिए निर्वाचन

दिव्यांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड 45

नियम 377 के अधीन मामले 48-66

(एक) राजस्थान में बजरी के अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया 48

(दो) महाराष्ट्र के गढ़चिरोली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक अतिरिक्त नवोदय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक महादेवराव नेते 49

(तीन) छत्तीसगढ़ में शैक्षिक संस्थानों के स्थानांतरण के बारे में

श्री मोहन मंडावी 50

(चार) मेरठ में एक सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 51

(पांच) झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में

डॉ. निशिकांत दुबे 52-53

(छह) जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की भूमि के लिए उनको पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जुगल किशोर शर्मा 54

(सात) महाराष्ट्र में लातूर रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे 55

(आठ) गया-बोधगया-चतरा रेल लाइन के निर्माण हेतु पर्याप्त निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह 56

(नौ) भुज-बारमेड़-थारद रेल लाइन का निर्माण आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल 57

(दस) 'वैपकोस' परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किए जाने के बारे में

श्री राजीव प्रताप रूडी 58

(ग्यारह) भारत-नेपाल सीमा पर क्वेरेन्टाइन प्लांट सुविधा स्थापित किए जाने के बारे में

श्री अजय मिश्रा टेनी 59

(बारह) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण हेतु धनराशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता कोडा 60

(तेरह) प्लेन पावरलूम/मिल सेक्टर की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. गणेशमूर्ति 61-62

(चौदह) आर एंड बी रोड को चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने के बारे में

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती 63

(पन्द्रह) महाराष्ट्र में एनएच-548 सी/एनएच-63 को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर 64

(सोलह) गोपालगंज जिले को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डॉ. आलोक कुमार सुमन 65

(सत्रह) राजस्थान के नागौर जिले में राजमार्गों को चौड़ा किए जाने और उनकी मरम्मत किए जाने तथा एक बाईपास और एक आर.ओ.बी. का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हनुमान बेनीवाल 66

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

- - - - - -

<u>मंगलवार, 9 मार्च 2021 / 18 फाल्गुन, 1942 (शक)</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

-

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 201

श्री भर्तृहरि महताब ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, सदन में पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका अधिकार समान होता है, बराबर होता है । अंदर एक डिजिटल भेदभाव, डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन चलता है। सत्ता पक्ष जो कुछ कहे, जो कुछ करे, सब टीवी में आता है । लेकिन विपक्ष की बात टीवी पर नहीं आती है । ...(व्यवधान) विपक्ष पर पाबंदी लगाई जाती है । सदन में जो-जो हैं, सदन के स्टेक होल्डर हैं । ...(व्यवधान) हम जो भी करते हैं, पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं । विपक्ष के लिए ब्लैकआउट बंद होना चाहिए। ...(व्यवधान) यह नहीं करना चाहिए । ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं, क्या आप में अनुशासन नहीं हैं? क्या आपकी पार्टी के क्या यही संस्कार हैं? आप बैठिए ।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैं आपसे गुज़ारिश करता हूं कि कैमरा सब पर फोकस करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय विपक्ष दल के नेता, क्या आप देश की जनता को शोर दिखाना चाहते हैं? क्या आप ये हंगामा दिखाना चाहते हैं? तख्तियां दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: हम तख्तियां कभी नहीं दिखाते हैं। ...(व्यवधान) सत्ता सिर्फ सरकार के लिए नहीं है ।...(व्यवधान) पार्लियामेंट सिर्फ सरकार के लिए नहीं है ।...(व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

इस समय, श्री बैन्नी बेहनन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): माननीय अध्यक्ष जी, जो रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं, शोर-शराबा करते हैं, हंगामा करते हैं, क्या वह लोगों को टीवी में दिखाना चाहते हैं? ये लोग देश के लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? ...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 201

श्री भर्तृहरि महताब।

(प्रश्न संख्या 201)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न यह है कि भले ही कृषि उत्पाद बाजार समिति का अस्तित्व बना रहे और एम.एस.पी. घोषित कर दिया जाए, परंतु यह प्रभावी नहीं होगा यदि भारतीय खाद्य निगम अपनी खरीद को सीमित करना शुरू कर दे। इससे उपज की मांग में गिरावट आएगी और कीमतों में गिरावट आएगी। यह डर वास्तविक है क्योंकि एफ.सी.आई. को गेहूं और चावल का अधिक भंडारण करने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है।

महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या एफ.सी.आई. ने ओडिशा राज्य से उसके द्वारा खरीदे जाने वाले चावल की मात्रा को आधा कर दिया है और क्या राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे देश में चावल और गेहूं का अत्यधिक भंडारण हो गया है।

[हिन्दी]

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है । ओडिशा में जितनी राइस की प्रोक्योरमेंट है, वह सारा प्रोक्योर करेंगे। वहां के सांसदों ने एक मांग की थी कि राज्य के

---

[1] [1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

सभी जिलों में बॉएल्ड राइस चावल स्वीकार करें। एफसीआई को ओडिशा क्षेत्र में जो भी चावल दिया जाएगा वह पूरा स्वीकार किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, ओडिशा से अब तक धान की निकासी नहीं हुई है। यही समस्या है। जरुरत से ज़्यादा भण्डारण हो गया है। लेकिन चूंकि माननीय मंत्री ने जवाब दे दिया है, मुझे लगता है, यह बेहतर रहेगा कि सरकार इस मुद्दे पर दोबारा विचार करे।

महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत में कंपनियां, व्यापारिक घराने और व्यापारी अक्सर अपना मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए गुटबंदी करते पाए जाते हैं। यदि किसानों को कृषि व्यवसायों और व्यापारियों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करने की अनुमति दी जाती है तो कृषि में गुटबंदी की ऐसी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सरकार किसानों की सुरक्षा कैसे करेगी और उन्हें उनके खाद्यान्नों के लिए सर्वोत्तम लाभकारी मूल्य मिले यह कैसे सुनिश्चित करेगी?

[हिन्दी]

रेल मंत्री; वाणिज्य और उद्योग मंत्री; और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री पीयूष गोयल): माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो जो सवाल पूछा गया है, उसका इस सवाल के साथ कोई मेल नहीं है। ...(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि सरकार ने एक विकल्प दिया है, जो आज की व्यवस्था है वह पूरे तरीके से बरकरार है। सरकार ने एक विकल्प के रूप में किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया है । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जिस कानून का जिक्र किया है, इसे गहराई से देखें, उससे कोई नुकसान नहीं है । (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री मनीष तिवारी जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आप महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं? आपसे पंजाब की जनता पूछेगी कि आपको प्रश्न काल में महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने के लिए चुनकर भेजा था।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अच्छा होगा कि आप अपनी सीट पर वापस जाएं और अपनी बात रखें।

... (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी: माननीय अध्यक्ष जी, हाउस आर्डर में नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हम सबने यह सहमति बनाई थी कि हम प्रश्न काल को व्यवस्थित तरीके से चलने देंगे । प्रश्न काल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है । माननीय सदस्यों के लिए अपने इलाके, क्षेत्र और देश की समस्याओं पर प्रश्न पूछने के लिए उपयुक्त समय होता है। मेरी भी कोशिश रहती है कि प्रश्न काल चले ताकि आपके माध्यम से उठाए गए मुद्दों का समाधान हो और आपको उसकी जानकारी मिले ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी सीट पर जाकर विराजें ताकि सदन ठीक से चल सके ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ।

... (व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि सरकार ने किसानों को एक विकल्प दिया है, लेकिन इस विकल्प के विरोध में किसान पिछले चार महीने से सरहद पर बैठे हैं। आज एफसीआई ने एक और नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट, जिस पर हमारे देश और राज्य की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, एफसीआई उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड अपलोड करेंगे।

मैं उस राज्य से आती हूं जहां 40 फीसदी ऐसे लोग हैं, जिनकी जमीनें नहीं हैं। कोई अपने राज्य से

बाहर जाता है तो अपनी जमीन ठेके पर दे देता है, अगर कोई विदेश में बैठा है तो वह भी अपनी जमीन ठेके पर दे देता है, जिसके पास जमीन नहीं है वह किसी जमींदार से लेकर देता है। अब एफसीआई के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वह लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, एफसीआई सरकारी खरीद नहीं करेगी। ये नई-नई चीजें हो रही हैं। मेरा प्रश्न है कि ये 40 फीसदी बे-जमीन वाले किसान कहां जाएंगे?

ये कह रहे हैं कि विकल्प दिया है । हमारे स्टेट का एपीएमसी एक्ट, 2013 क्लियरली किसान को राइट देता है कि वह कमीशन के एजेंट के थ्रू बेचे या डायरेक्ट बेचे । ये कहते हैं कि एफसीआई में कोई संशोधन नहीं करेंगे, स्टेट एक्ट में कोई इन्टरफियर नहीं करेंगे, जबकि यह डायरेक्ट इन्टरफियरेंस है। फैडरल स्ट्रक्चर की हर एक चीज में इन्टरफियर करके जो अच्छा खासा चल रहा है, उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं?

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बहन कुछ दिनों पहले तक मंत्रिमंडल में इन सब विषयों को स्वीकार करके एक पारदर्शी तरीके से देश में काम हो, व प्रोक्योरमेंट हो, इसके लिए बहुत उत्साह के साथ काम करती थीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज वह कैसे भूल गई हैं कि इस देश की प्रतिबद्धता है, इस देश की जनता का संकल्प है कि देश में आज पारदर्शी व्यवस्थाएं हों, देश में गलत कामों को रोका जाए और इसी के तहत पूरे देश में एफसीआई की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। देश भर के किसान अपनी उपज का मूल्य सीधा सरकार से लेते हैं, डिजिटली लेते हैं, लेकिन मात्र एक राज्य ऐसा है जहां वे कहते हैं कि हम किसान को पूरा मूल्य नहीं देंगे, हम किसान के खाते में पैसा नहीं डालेंगे ।

उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे उनकी क्या परिकल्पना है? क्या वे किसानों का पैसा हड़पना चाहते हैं? क्या वे किसानों को पूरा मूल्य नहीं पहुंचाना चाहते हैं? ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि हमसे पूछने के बदले, जैसे वे पहले राज्य सरकार से पूछा करती थीं, वैसे वे अब भी राज्य सरकार से कहें कि आज पारदर्शी व्यवस्था मोदी सरकार किसानों के हित में ला रही है । मोदी सरकार किसानों को सही दाम दिला रही है और रही बात लैंड रिकॉर्ड की, तो किसानों से ही खरीदेंगे । जिसकी भी लैंड है, वह अपना लैंड रिकॉर्ड अपडेट करे । ...(व्यवधान) अपडेट कर दे कि मैंने इसको किराए पर दिया है । खरीदने के लिए हमने मना नहीं किया है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड अपडेट नहीं करना और लैंड में कितनी उपज हुई है, उससे जमीन

की उपज तो पता चलेगी कि दो एकड़ जमीन में कितना अनाज उगाया जा सकता है। मैं माननीय सांसद को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक अच्छी, ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था किसानों के हित में सरकार ने की है। ...(व्यवधान) किसानों को पूरा पैसा मिले और गलत जगह इस देश के करदाताओं का पैसा न जाए, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 202 ।

सुश्री सुनीता दुग्गल ।

(प्रश्न संख्या 202)

[अनुवाद]

श्री सुनीता दुग्गल: अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए सरकार द्वारा कितनी योजनाएँ कार्यान्वित की गयी हैं; क्या सरकार ने मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; पिछले तीन वर्षों के दौरान मत्स्य पालन क्षेत्र के कल्याण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यवार कुल कितना धन आबंटित किया गया है; क्या सरकार की जलमग्न भूमि में मत्स्य पालन के लिए कोई योजना है; और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

श्री गिरिराज सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। ...(व्यवधान) मैं माननीय सदस्या से यह कहना चाहता हूं कि सारे उत्तर आपके प्रश्न पट पर रखे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक विषय कहना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, माननीय अधीर रंजन जी, नेता कांग्रेस ने कहा कि मुझे ठेस लगी है ।...(व्यवधान) इनके नेता राहुल गांधी जी ने 2 फरवरी को अतारांकित प्रश्न पूछा था । लेकिन, पुदुचेरी और कोच्चि में जाकर पता नहीं, उनकी यादाश्त खत्म हो गयी, मैं यह नहीं कह सकता ।...(व्यवधान) लेकिन, उन्होंने कहा कि फिशरीज डिपार्टमेंट है ही नहीं। मैं आऊंगा तो अलग से एक मंत्रालय बनाऊंगा । मुझे अफसोस है कि यह किसका प्रश्न था? मैं एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

मैंने पहले ही कहा, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि राज्यवार ब्यौरा दें, तो उनके उत्तर में मैंने ब्यौरा दिया है कि 3386.57 लाख भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को दिया है। यह राज्यवार ब्यौरा है। लेकिन, अगर आप मुझसे डिटेल में पछेंगी, तो मैं उसका ब्यौरा आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं। आज देश में पहली बार, मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहूंगा। वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2014 तक, जो लोग सामने बैठे हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी तक राज किया, उन्होंने केवल 3682 करोड़ ही सेंट्रल एलोकेशन

दिया ।...(व्यवधान)

महोदय, मैं यह कह रहा हूं ।...(व्यवधान) मोदी सरकार ने 32,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है ।...(व्यवधान) आप जानते हैं, जिसने वर्षों तक राज किया है, भारत में वर्ष 2014 तक मछली का उत्पादन केवल 100 लाख टन हुआ था यानी 10 मिलियन ।...(व्यवधान) लेकिन मोदी जी ने केवल छः साल में 150 लाख टन मछली का उत्पादन किया है।...(व्यवधान) मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिनको पता ही नहीं है, जिनके नेता को पता नहीं है कि फिशरीज डिपार्टमेंट कहां है और वह कब अलग हुआ?...(व्यवधान)

मोदी जी ने वर्ष 2019 से पहले दो डिपार्टमेंट बना दिए थे। अगर मैं कहूं कि...(व्यवधान) 32,572 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का मॉडल रखा है। महोदय, यह देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहता हूं ।...(व्यवधान) आज देश में फिशरीज की टोटल ग्रोथ 10.87 प्रतिशत है, लेकिन इनके शासन काल में केवल 5.27 प्रतिशत थी।...(व्यवधान)

महोदय, यह बताता है कि फिशरीज के ग्रोथ में मोदी जी ने कितना बड़ा स्टेक लिया है, डिपार्टमेंट बनाया है।...(व्यवधान) मैं आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि इनके नेता को कहीं स्कूल भेजिए और उनको बताइए कि भारत में कौन-कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। नहीं तो ये भूल जाते हैं कि संघीय ढांचे में कौन-कौन से विभाग हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एम. के. राघवन ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी सीट पर वापस जाएं। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछने का मौका दूंगा । यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मेरा आग्रह है कि आप

अपनी सीट पर वापस जाएं ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीट पर वापस जाएं। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मैं आपको निश्चित रूप से मौका दूंगा ।

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 203 से 220)
अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही अपराह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>**पूर्वाह्न 11.18 बजे**</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>**मध्याह्न 12.00 बजे**</u>

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत हुई।

(श्रीमती मीनाक्षी लेखी *पीठासीन हुईं*)

...(<u>व्यवधान</u>)

<u>**अपराह्न 12.0 ½ बजे**</u>

इस समय, श्री बैन्नी बेहनन, डॉ. कलानिधि वीरस्वामी, एडवोकेट ए. एम. आरिफ और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... (<u>व्यवधान</u>)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है ।

... (<u>व्यवधान</u>)

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 से 10, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री मनसुख मांडविया जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दि फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3772/17/21]

(ख) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3773/17/21]

(ग) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3774/17/21]

(घ) (एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3775/17/21]

(ङ) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3776/17/21]

(च) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3777/17/21]

(छ) (एक) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3778/17/21]

(ज) (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3779/17/21]

(झ) (एक) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3780/17/21]

(ञ) (एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3781/17/21]

(2) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3782/17/21]

(4) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3783/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रिज एण्ड रुफ कंपनी (आई) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3784/17/21]

(दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3785/17/21]

(तीन) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3786/17/21]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3787/17/21]

(ख) (एक) हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड के वर्ष 20192020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मेन्युफैक्चिरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड का वर्ष 20192020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3788/17/21]

(ग) (एक) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3789/17/21]

(घ) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3790/17/21]

(ड़) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रुड्डास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार दवारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रुड्डास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3791/17/21]

(3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3792/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री कृष्ण पाल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) हेण्डीकैप्ड डवलपमेंट काउंसिल, आगरा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हेण्डीकैप्ड डवलपमेंट काउंसिल, आगरा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3793/17/21]

(3) (एक) काउंसिल फॉर डवलपमेंट ऑफ पुअर एण्ड लेबरर्स, इंफाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर डवलपमेंट ऑफ पुअर एण्ड लेबरर्स, इंफाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3794/17/21]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल हेण्डीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हेण्डीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 20182019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3795/17/21]

(ख) (एक) आर्टिफिशियल लिम्बस मेन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मेन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) की मद (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3796/17/21]

(6) (एक) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज, ईस्ट गोदावरी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज, ईस्ट गोदावरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3797/17/21]

(7) (एक) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3798/17/21]

(8) (एक) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, तेलंगाना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3799/17/21]

(9) (एक) अश्रा-अक्रुति, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अश्रा-अक्रुति, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3800/17/21]

(10) (एक) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3801/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3802/17/21]

(3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) पहला संशोधन विनियम, 2021 जो 4 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता आकलन) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 5 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3803/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री जी. किशन रेड्डी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू:-

(1) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3804/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री परषोत्तम रूपाला जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू:-

(1) (एक) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड-चेन डवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3805/17/21]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 319(अ) जो 21 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित सिटी कम्पोस्ट के विनिर्माताओं को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए किसानों को सीधे बड़ी मात्रा में सिटी कम्पोस्ट विक्रय करने के लिए अधिकृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3806/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री रामदास अठावले जी की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एकएक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3807/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री नित्यानंद राय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र

सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स हवलदार (ऑपरेटर रेडियो और लाइन), कम्बैटाइज्ड पद, भर्ती नियम, 2020, जो 16 जनवरी, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 02 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल निरीक्षक (पुस्तकालय अध्यक्ष) (कम्बैटाइज्ड, गैर-राजपत्रित, समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020, जो 16 जनवरी, 2021 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 03 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल समूह 'क' और 'ख' सिविलियन राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2021, जो 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 38 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखें संख्या एल.टी. 3808/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सभापति महोदया, श्री कैलाश चौधरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल.टी. 3809/17/21]

अपराह्न 12.02 ½ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

21वें से 30वां प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदया, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 21वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 22वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) "रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित लंबित आवासनों की समीक्षा" के बारे में 23 वां प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा)।

(4) "रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में 24 वां प्रतिवेदन (17 वीं लोक सभा)।

(5) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 25 वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 26 वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 27 वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(8) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 28वां प्रतिवेदन

(17वीं लोक सभा)।

(9) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 29वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(10) "आश्वासनों को छोड़ने हेतु अनुरोधों (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 30वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

<u>कृषि संबंधी स्थायी समिति</u>

24वें से 26वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी. सी. गद्दीगौदर (बागलकोट): महोदया, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति (2020-21 के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं: -

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

(3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.03 ½ बजे</u>

<u>ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति</u>

13वें से 15वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): सभापति महोदया, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (202122) की जांच संबंधी 13वां प्रतिवेदन ।

(2) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) की जांच संबंधी 14वां प्रतिवेदन ।

(3) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) की जांच संबंधी 15 वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

19वां प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदया, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

अपराह्न12.04 ½ बजे

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति

323वां और 324वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनुभव मोहंती (केंद्रपाड़ा): महोदया, मैं शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2021-22 संबंधी 323वां प्रतिवेदन।

(2) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2021-22 संबंधी 324वां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

<u>परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति</u>

287वां और 288वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदया, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 287वां प्रतिवेदन।

(2) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी 288वां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.05 ½ बजे</u>

<u>कार्य मंत्रणा समिति</u>

20वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 20 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

[अनुवाद]

(1)(क) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।*

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मंडाविया): महोदया, मैं रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए क्रमश: संख्या एल.टी. 3770/17/21।

(1)(ख) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21 के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।*

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मंडाविया): महोदया, मैं रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21 के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य रखता हूं।

... (व्यवधान)

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 3770/17/21

<u>अपराह्न 12.06 ½ बजे</u>

<u>समिति के लिए निर्वाचन</u>

दिव्यांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन दिव्यांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में उस अवधि के लिए, जब तक कि वे सभा के सदस्य रहते हैं, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन दिव्यांगता संबंधी केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में उस अवधि के लिए, जब तक कि वे सभा के सदस्य रहते हैं, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.02 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

इस समय, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर पटल के निकट खड़े हो गए।

... (<u>व्यवधान</u>)

अपराह्न 2.03 बजे

नियम - 377* के अधीन मामले

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) राजस्थान में बजरी के अवैध खनन को रोके जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): राजस्थान में अवैध बजरी दोहन से स्थिति खराब हो रही है सरकार एवं प्रशासन बजरी माफिया के सामने लाचार दिखाई पड़ रहे है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन अवैध बजरी दोहन को रोकने में पूर्णतया विफल रहे है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकारे नीति बनाने में सफल नही हो पा रही है मेरे संसदीय क्षेत्र भीलवाड़ा में बनास एवं सहायक नदियां बजरी के अवैध दोहन को लेकर प्रभावित है जिससे उक्त नदी क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है एवं जलस्तर गिर रहा है आये दिन बजरी माफिया और प्रशासन के बीच आमने सामने झगड़े की स्थितियां पैदा हो रही है तथा दुर्घटनाएं भी बढ रही है, अतः विषय की गंभीरता समझते हुये केन्द्र सरकार आवश्यक हस्तक्षेप करे एवं इस पर एक राष्ट्रीय नीति बने, जिससे अवैध बजरी दोहन को रोका जा सके तथा आमजन को आवश्यक बजरी सरलता से उपलब्ध हो सके।

---

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(दो) महाराष्ट्र के गड़चिरोली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक अतिरिक्त नवोदय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि देश के नवोदय विद्यालयों में सेवारत शैक्षिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ को वर्ष 2005 से पूर्व और इसके पश्चात भी पेंशन की सुविधा से वंचित किए जाने के परिणास्वरूप काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विगत काफी समय से नवोदय विद्यालय के स्टॉफ द्वारा पेंशन की सुविधा प्रदत्त किए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन, उनकी मांग को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। अतः उनके हित में यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके समुचित कदम उठाए। इस संदर्भ में मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर कई सौ कि.मी. लम्बे क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा आदिवासी संसदीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा हुआ है। अतः गड़चिरोली-चिमूर में एक और नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

(तीन) छत्तीसगढ़ में शैक्षिक संस्थानों के स्थानांतरण के बारे में

श्री मोहन मंडावी (कांकेर): छतीसगढ़ मे शिक्षा के एकीकरण की दृष्टि से स्कूल शिक्षा विभाग आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग के शैक्षणिक संस्थानो को स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया। परंतु इतने वर्षो पश्चात भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग ने खेल परिसर के शैक्षणिक हिस्से को अब तक स्कूल शिक्षा विभाग को सौपा ही नहीं है। वर्ष 2015 मे छतीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र मे लिए गए अहम निर्णय एवं सामान्य प्रशासन विभाग छतीसगढ़ शासन के आदेश की अवमानना परिलक्षित होती है। छतीसगढ़ के सभी खेल परिसरों मे व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति, कोच के पद पर पदोन्नति, वेतन आहरण इत्यादि सम्पूर्ण दायित्वों का निर्वहन उक्त व्यवस्था के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाना है। अत: माननीय मंत्री जी से गुजारिश है, कि शासन के उक्त आदेश का अक्षरश: पालन करने हेतु छतीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग को निर्देशित करने की महान कृपा हो।

(चार) मेरठ में एक सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश का हृदय स्थल है तथा प्रत्येक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। मेरठ छावनी देश की दूसरी सबसे बड़ी छावनी है। मेरठ तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवकों के सेना में भर्ती होने की गौरवशाली परंपरा है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्ताव में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव देश में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना का है। मेरठ की पृष्ठभूमि तथा महत्व को देखते हुए यहां एक सैनिक स्कूल की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ में एक सैनिक स्कूल खोलने की कृपा करें।

(पांच) झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): हमने झारखंड के संथाल परगना के महत्वपूर्ण पिछड़े क्षेत्र को राजमार्गों और पुलों की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात प्रदान की हैं । मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कई परियोजनाएँ, जो पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं, लालफीताशाही और विभिन्न स्तरों पर अनावश्यक देरी के कारण अटकी हुई हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया व्यक्तिगत रूप से इसमें हस्तक्षेप करें और विलंब को दूर करें।

ये परियोजनाएँ हैं :

1- एन.एच.-133-हंसदियाहा-पीरपैंती फोर लेन

2- बटेश्वरस्थान में पुल सहित भागलपुर के एन.एच.-80 और एन.एच.-31 के बीच नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा।

3- एन.एच.-114क देवघर से बासुकीनाथ - फोर लेन - शिलान्यास किया जाना।

4- साहिबगंज फोर लेन के ऊपर गंगा ब्रिज - शिलान्यास किया जाना।

5- एन.एच.-114क, एन.एच.-133 और एन.एच.-80 के ऊपर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना।

6- गोड्डा से पाकुड़ - एन.एच.-333क का निर्माण किया जाना ।

7- सी.आर.एफ. के अन्तर्गत महागामा से दिग्घी मार्ग को फोर लेन किया जाना।

8- नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा

(क) मधुपुर से जामताड़ा वाया मारगोमुंडा

(ख) गोड्डा से दुमका वाया रामगढ़ अगियामोड़

(ग) एन.एच.-80 कहलगांव, मेहेरामा, मिर्ज़ा चौकी वाया ठाकुरगंगटी भगैया।

(घ) हंसडीहा से महारो मोड़ - एन.एच-114क ।

(ड़) देवघर, राजधनवार वाया चकाई ।

उपरोक्त परियोजनाओं से इस क्षेत्र और झारखंड राज्य के वंचित आदिवासियों को लाभ मिलेगा, अत: मैं आपसे सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

(छ:) जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की भूमि के लिए उनको पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान जम्मू कश्मीर के उन सीमावर्ती स्थानों की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ की सीमा पर तारबंदी हुई है। तारबंदी के कारण, तारबंदी की दूसरी और जो खेती की जमीन थी, जिसका अधिग्रहण कर लिया गया है, उस जमीन पर खेती करने वाले किसान बेरोजगार हो गए हैं। उनकी जमीन ही उनका एकमात्र सहारा है जबसे उनकी जमीन तार के उस पार चली गयी है तबसे वह बड़ी मुसीबतों की जिन्दगी जी रहें है उनकी भुखमरी की नौबत आ गयी है| इस तारबंदी की व्यवस्था में उन गरीब किसानों का क्या दोष है। ना ही उन्हें कोई रोजगार मिला और ना ही उन्हें उस जमीन का मुआवज़ा अभी तक मिला है, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। अत: मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि उन किसानों को जल्द से जल्द मुआवज़ा देने का कष्ट करें।

(सात) महाराष्ट्र में लातूर रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): रेलवे द्वारा 2019 में लातूर स्टेशन पर पिटलाइन बनाने का अनुमोदन किया गया था। परंतु बजट में इस हेतु धनराशि आबंटन नहीं किए जाने के कारण अब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है जनता की मांग पर जब भी मैं लातूर स्टेशन से नई रेल आरंभ किए जाने अथवा यात्री सुविधाओं के बारे में कोई मांग उठाता हूं तो मुझे यही जवाब दिया जाता है कि स्टेशन पर आवश्यक सर्विस लाइन नहीं होने के कारण यह संभव नहीं है। इस कारण विगत 70 साल से यहां पर कोई नई रेल शुरू नहीं की गई है। लातूर स्टेशन पर यात्री व माल का आवागमन विगत कई सालों से काफी बढ़ गया है। रेल कोच फैक्ट्री के शुरू हो जाने से भी यहां यात्री सुविधाओं के तत्काल विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पिट लाइन के बन जाने से न केवल यात्रियों की मांग व आवश्यकता के अनुरूप यहां से नई रेल शुरू करने की सुविधा हो पाएगी अपितु मराठवाड़ा के लोगों को देश के विभिन्न स्थानों पर आने-जाने के लिए यहां से आवश्यक नई रेल शुरू करना संभव हो जाएगा। मुझे आश्वासन दिया गया था कि 2020 में पिट लाइन के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर इसका निर्माण कर दिया जाएगा परन्तु धन के प्रावधान नहीं होने के कारण इस पर निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। डीआरएम,सोलापुर से पूछे जाने पर उनका यही जवाब होता है कि बजट प्रावधान होने के बाद ही इस का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस साल अर्थात् 2021-22 के बजट में भी इसके निर्माण हेतु धनराशि आवंटन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अभी आने वाले डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इस साल के बजट में लातूर स्टेशन पर पिट लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान कर इसका निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए ताकि मराठवाडा की जनता की मांग के अनुसार लातूर स्टेशन से नई रेल शुरू करना तथा अन्य यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जाना संभव हो सके।

(आठ) गया-बोधगया-चतरा रेल लाइन के निर्माण हेतु पर्याप्त निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मेरा संसदीय क्षेत्र चतरा बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। आवागमन की सुविधाओं का अत्यन्त अभाव है। चतरा से गया रेलवे लाईन प्रोजेक्ट का अंतिम सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 37.672 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का कार्य भी हो चुका है। 2007-08 के बजट में चतरा -गया रेल लाइन निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ने इसका शिलान्यास बिहार में किया था। गया- बोधगया- चतरा रेल लाइन निर्माण की का कुल लागत 549.75 करोड़ रूपये है जिसमें वर्ष 2013-14 में 1860.28 लाख रूपये तथा 2014-15 में 10 लाख रूपये आवंटन के बाद शेष 53104.72 लाख रूपयों की आवश्यकता है। रेल बजट 2015-16 तथा 2014-15 का संशोधित परिव्यय 1 करोड़ रूपये किया गया है। चतरा व गया दोनो ही महत्वपूर्ण स्थान है यह जैन, बौद्ध व हिन्दू सबकी आस्था का केन्द्र है। इसलिए मैं रेल मंत्रालय से मांग करता हूँ कि गया-बोधगया-चतरा रेल लाइन निर्माण के लिए पर्याप्त राशि का आंवटन कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करायें।

(नौ) भुज-बारमेर-थराद रेल लाइन का निर्माण आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत भुज-बाड़मेर से थराद होते हुए एक नई रेल लाइन का निर्माण किया जाना है और इसका सर्वेक्षण हुआ है और पूर्व वाले बजट में लिया गया है परन्तु अभी तक इस रेल लाइन का कार्य शुरू नहीं हो सका है। इस रेल लाइन के निर्माण होने से थराद, बाव, सुईगाम, लाखनी तहसील के यात्रियों को रेलवे का लाभ मिल सकेगा । यहाँ आजादी से अबतक रेलवे से इस क्षेत्र को जोड़ा नहीं जा सका है यहाँ रहने वाले निवासी मुख्यतः किसान वर्ग के हैं और इस रेल लाइन के परिचालन से इन क्षेत्रो के किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और वे अपना कृषि उत्पाद एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से ले जा सकेंगे और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। अतः मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उपरोक्त रेल लाइन की वर्तमान प्रगति के बारे में जानकारी देने की कृपा करें और यदि कार्य की प्रगति रुकी हुई है तो इस परियोजना को पुनः प्रगति में लाने की कृपा करें ताकि इस क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ा जा सके और जनता की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया जा सके ।

(दस) 'वैपकोस' परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): नदियों को आपस में जोड़ना और पानी की अधिकता वाले बेसिन के क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले बेसिन की ओर मोड़ना केंद्र सरकार के साथ-साथ बिहार राज्य सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। हालाँकि, मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार को हर साल गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में बिहार के जो हिस्से सूखे का सामना करते हैं उन हिस्सों के लोगों की आजीविका को कोई नुकसान न पहुंचे इसके लिए इस पानी का रुख उन सूखे हिस्सों की ओर मोड़ दिया जाता है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत वाप्कोस (डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस.) जो एक परामर्श संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने गंगा जल की सहायक नदियों को पानी की कमी वाले मैदानी इलाकों में मोड़ने के लिए नहरों के निर्माण की एक परियोजना शुरू की है। अत: मैं जलशक्ति मंत्री जी से वैपकोस (डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस.) की वर्तमान परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आग्रह करता हूँ।

(ग्यारह) भारत-नेपाल सीमा पर क्वेरेन्टाइन प्लांट सुविधा स्थापित किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): मेरा लोकसभा क्षेत्र नेपाल की सीमा पर स्थित है, जहाँ से नेपाल से सब्जी फल व खाद्य सामग्री सहित काफी वस्तुओं का व्यवसाय होता है जो सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आय का एक प्रमुख जरिया है परंतु जून 2019 ने नेपाल सरकार ने नेपाली कोर्ट के आदेश को निहित करते हुए फल, सब्जी व खाद्य सामग्री का आयात बिना संगरोध संयंत्र के प्रमाण के रोक दिया। परंतु मैंने दिसम्बर 2019 के उक्त विषय को लोकसभा में उरिफंटा बार्डर पर मात्र 2 दिन के अन्दर संगरोध संयंत्र कार्यक्रम को उठाया था माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार ने तत्काल संज्ञान लेकर प्रारम्भ करा दिया था, जिससे व्यापार सुगमता से हो रहा है तथा उक्त कार्यक्रम अच्छी तरह से कार्य कर रहा है जिसका धन्यवाद मैं सरकार एवम् माननीय कृषि मंत्री की को देता हूँ तथा जिक्र किये गये तिकुनियां-खखरौंला बार्डर जो नेपाल की सीमा पर स्थित एक प्रमुख व्यवसायिक बार्डर है तथा गोरिफंटा बार्डर से लगभग सड़क मार्ग से 80 से 85 किलोमीटर दूर है। अतः सरकार से अनुरोध है कि व्यपारियों की सहूलियत व सुगम व्यवसाय हेतु तिकुनियां- खखरौंला (नेपाल बार्डर) पर क्वेरेन्टाइन प्लांट को शुरू करने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

(बारह) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों के निर्माण हेतु धनराशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता कोडा (सिंहभूम): प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ को दी जाने वाली मानक राशि मॉडल अनुमान 2015 से अब तक 1,30,000 रूपया है। पाँच वर्ष बीतने के बाद भवन निर्माण सामाग्रियों का मूल्य 50 प्रतिशत बढ चुका है जिसके कारण भवन निर्माण में कई दिक्कते आती है और जिसके चलते वह भवन अधूरा बन पाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रह रहे लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि में भवन निर्माण की मानक लागत मॉडल अनुमान को 50 प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे सभी को इसका लाभ मिले।

(तेरह) प्लेन पावरलूम/मिल सेक्टर की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. गणेशमूर्ति (इरोड): भारत सरकार द्वारा हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 लाखों हथकरघा बुनकरों की आजीविका की रक्षा के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। प्रारंभ में 1986 में, लगभग 22 कपड़ा वस्तुएं हथकरघा द्वारा विशेष उत्पादन के लिए आरक्षित की गई थीं जिन्हें बाद में घटाकर 11 कर दिया गया। ऐसी मदें हैं 1. साड़ी, 2. धोती, 3. तौलिया, गमछा और अंगवस्त्रम, 4. लुंगी, 5. खेस, बेडशीट, बेडकवर, काउंटरपेन, फर्निशिंग (जिसमें टेपेस्ट्री, अपहोल्स्ट्री शामिल है), 6. जमाक्कलम दुरी अथवा दुरे 7 ड्रेस मैटीरियल, 8. बैरक कंबल, कंबल या कांबली, 9. शॉल, लोई मफलर, पंखी आदि, 10. ऊनी ट्वीड, 11. चादर, मेखला/फानेक जिसका उपयोग सभी वर्ग के लोग प्रतिदिन करते हैं। परंतु, वर्तमान में देश भर में हथकरघा और हथकरघा बुनकरों की संख्या कम है और वे उपर्युक्त 11 विशिष्ट कपड़ा वस्तुओं की उच्च मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसलिए, हथकरघा बुनकरों ने स्वयं उपरोक्त उल्लिखित वस्तुओं की उच्च मांग को पूरा करने के लिए अपने हथकरघा को पावरलूम में परिवर्तित कर दिया है।

हथकरघा क्षेत्र कपड़ा उत्पादों की कुल मांग का केवल 15% पूरा करता है, शेष मांग को विद्युतकरघा (पावरलूम) क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाना है। यदि कोई आदेश के उल्लंघन में किसी वस्तु का उत्पादन करता है, तो वह कारावास/दंड और निरंतर उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। भारत में कपड़ा क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता है जो देश में रोजगार और आय का सृजन करता है। उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन के कारण, मौजूदा सादे पावरलूम/मिल क्षेत्र को इन वस्तुओं के उत्पादन से रोका जा रहा है जो सादे पावरलूम/मिल क्षेत्र के विकास, रोजगार और आय के सृजन में बहुत सारी बाधाएँ उत्पन्न करता है।

अत: मैं वस्त्र मंत्री से सादे पावरलूम/ मिल क्षेत्र और बुनकरों के समक्ष पेश आ रही समस्याओं को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं और यदि आवश्यक हो, तो हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 में आवश्यक संशोधन करने के लिए आगामी सत्र के दौरान

सादे पावरलूम/मिल क्षेत्र को उपरोक्त 11 अनन्य वस्त्र मदों का उत्पादन करने की अनुमति देने या उक्त अधिनियम को निरस्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(चौदह) आर एंड बी रोड को चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने के बारे में

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती (अनकापल्ले): सब्बावरम - वेंकन्नापलेम - चोडावरम - रविकामतम से नरसीपट्टनम से तुनी तक का मार्ग पूरी तरह से सड़क एवं भवन विभाग के तहत आता है। यह पूर्वी गोदावरी की ओर जाने के लिये भी एक छोटा रास्ता है। चोडवरम से नरसीपट्टनम के बीच लोपुड़ी गाँव में एस.एफ.टी. (विशिष्ट कार्य बल) के स्टोर भी स्थित हैं। आजकल, आम जनता भी पूर्वी गोदावरी में प्रवेश करने के लिए इस सड़क का उपयोग कर रही है क्योंकि एन.एच. सब्बावरम से तूनी तक भारी वाहनों के साथ भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। यदि हम उक्त प्रस्तावित सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकसित करते हैं, तो यह सेना, रक्षा विभागों के लिए आपातकालीन स्थितियों में समानांतर रूप से उपयोग करने के लिए बहुत उपयोगी होगी। यातायात को कम करने के लिए, यह सब्बावरम - वेंकन्नापलेम -चोडवरम- रविकामाटम- नरसीपट्टनम से तुनी (24+46+43) तक केवल 113 कि.मी. है। इसलिए, मैं सरकार से आर एंड बी सड़क को चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित करने पर विचार करने का आग्रह करती हूं।

(पंद्रह) महाराष्ट्र में एनएच-548 सी/एनएच-63 को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): टेंभूर्णी-कुर्दूवाडी-बार्शी-येडशी महाराष्ट्र एन.एच. 548 सी/एन.एच. -63, राजमार्ग का बहुतांश भाग मेरे संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद (धाराशिव) से होकर मुंबई जाता है और सोलापुर-उस्मानाबाद और लातूर जिले का सीधा परिवहन इस राजमार्ग से ही अधिकांश रूप में होता है तथा यह राजमार्ग मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के बीच परिवहन का मुख्य मार्ग है। इस राजमार्ग का 163 किलोमीटर में से 101 किलोमीटर का भाग मेरे चुनाव क्षेत्र से होकर जाता है। इस राजमार्ग की स्थिति परिवहन के लिए अनुकूल नहीं है। टेंभुर्णी-बार्शी राजमार्ग संकीर्ण होने के कारण इस राजमार्ग पर अपघात की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।

येडसी से लातूर की सड़क 15 नीटर चौड़ी बनाई जा रही है और टैंभूर्णी से येडसी तक 10 मीटर चौड़ी करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । यहाँ पर बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने एवं क्षेत्रीय जनता की सुविधा के लिए इसमें बदलाव कर इसे 15 मीटर चौड़ा करना आवश्यक है।

अतः क्षेत्रीय जनता की माँग तथा प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र एन.एच.-548 सी/एन.एच-63 राजमार्ग को टेंभूर्णी से येंडसी तक 15 मीटर तक चौड़ा करने की कृपा करें।

(सोलह) गोपालगंज जिले को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं अपने संसदीय क्षेत्र जिला गोपालगंज को आकांक्षी जिलों की सूची में जोड़ने के लिए सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। जैसा कि 117 जिलों को पूरे देश में आकांक्षी जिलों के लिए चुना गया है जिसमें 35 जिलों को गृह मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया है।

मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज एक कृषि प्रमुख क्षेत्र है जहाँ की तीन चीनी मिलें है। किसान भाईयों एवं बहुत सारे परिवार गन्ने की खेती एवं चीनी मिल पर आश्रित है। युवा वर्ग को रोजगार की भी समस्या है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन एवं बुनियादी ढाँचे में सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। गोपालगंज जिले में बाढ़ की विभीषिका एवं उसके बाद जान-माल का नुकसान एक बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा कर देती है, सरकार की मदद से हर साल इस संकटपूर्ण स्थिति पर काबू पाया जाता है। बाढ़ के दौरान लोगों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर शरण लेनी पड़ती है। इन सभी समस्याओं एवं सूचकांक के मापदंड पर ध्यान देते हुए गोपालगंज जिले को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है।

अत: मैं योजना मंत्रालय एवं नीति आयोग से आग्रह करता हूँ कि गोपालगंज जिले को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया जाए ताकि इस अविकसित जिले का विकास हो सके।

(सत्रह) राजस्थान के नागौर जिले में राजमार्गों को चौड़ा किए जाने और उनकी मरम्मत किए जाने तथा एक बाईपास और एक आर.ओ.बी. का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सड़क,परिवहन व राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से सी.आर.एफ व अन्य मद से नागौर जिले में मुंडवा से मेड़ता सिटी तक स्टेट हाइवे 39 की 61.20 किमी,चातरा माँझरा से पांचला सिद्धा तक एमडीआर 37 ए की 32 किमी, मुंदीयाड़ से जोरावरपुरा तक एमडीआर 37 बी की 16 किमी,झिंटिया से रेण होते हुए सांजु की एमडीआर 225 की 38 किमी,कवासपुरा से पुंदलु, गगराना इंदावड़ होते हुए गूलर तक एमडीआर 224 की 66 किमी, स्टेट हाइवे 19 की करणु से भोमासर,भुण्डेल गुड़ा होते हुए गोगेलाव तक 62 किमी व स्टेट हाइवे 87 ए की नागौर जिले की सीमा की 19 किमी सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य व बोरावड़ से खाटू सड़क पर कालवा रेलवे फाटक पर आरओबी का निर्माण व नागौर से बीकानेर एनएच 62 को लाडनू सालासर एनएच 58 से जोड़ने वाली सड़क पर बाइपास का निर्माण तथा नागौर शहर में विजय वल्लभ चौक होते हुए मुंडवा तिराहा होते हुए मानासर तक फोर लेन सड़क मय डिवाईडर के निर्माण की मांग करता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सब विषयों पर चर्चा हो जाएगी, चर्चा के लिए ही सदन है। कृपया आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। आज बिल भी है और भी अनेक चर्चाएं हैं, काफी महत्वपूर्ण काम सदन के सम्मुख है। आप कृपया करके बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप थक भी गए होंगे, विरोध करते-करते । आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अपने स्थान पर जाएं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया चेयर को सहयोग कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही बुधवार, 10 मार्च, 2021 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 मार्च, 2021 / 19 फाल्गुन, 1942 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>इंटरनेट</u>

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2021 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित